संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिग/सेल–4/2016/326 भोपाल दिनांक 15/03/2016

प्रति,

1. समस्त,
   संभागीय संयुक्त संचालक
   स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. समस्त,
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त,
   सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्यप्रदेश।

विषय :– बालचर्या अवकाश स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के जारी आदेश क. 513/599/2016/17/मेडि.–1 दिनांक 27.02.2016

उपरोक्त विषयान्र्तगत संदर्भित शासन से जारी दिशा निर्देश के पालन में आपके अधिनस्थ शासकीय सेवको को बालचर्या अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित आदेश विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध है।

संलग्न – शासन के जारी परिपत्र
क. 513/599/2016/17/मेडि.–1 दिनांक 27.02.2016

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

पृ.क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल 2/2016/ भोपाल दिनांक /3/2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिलाध्यक्ष म.प्र.।
4. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म.प्र.।

संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

local disk D/ggg/E:\ggg\letter.docx

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

आदेश

दिनांक /2/2016

क्रमांक /599/2016/17/मेडि–1 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश अवकाश नियमों में किये गये संशोधन आदेश क्रमांक एफ 6–1/2015/नियम/चार, दिनांक 22.08.2015 द्वारा बालचर्या अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रावधान किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत इस सुविधा को देने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जावे:–

1. संभाग में कार्यरत संख्या के 5 प्रतिशत विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों को क्षेत्रीय संचालक द्वारा बालचर्या अवकाश स्वीकृत किये जावेंगे।
2. जिले में कार्यरत संख्या के 7.5 प्रतिशत चिकित्सा अधिकारी को क्षेत्रीय संचालक द्वारा बालचर्या अवकाश स्वीकृत किये जावेंगे।
3. जिले में कार्यरत संख्या के 5 प्रतिशत स्टॉफ नर्सेस को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बालचर्या अवकाश स्वीकृत किये जावेगें।
4. इस अवकाश का खाता पृथक से संधारित किया जावेगा तथा संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जावेगी।

बालचर्या अवकाश पर जाने के फलस्वरूप संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धारित पद रिक्त माना जावेगा एवं संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा रिक्त पद अन्य अधिकारी की पदस्थापना की जा सकेगी। संबंधित अधिकारी द्वारा अवकाश से लौटने के उपरांत नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अपनी उपस्थिति दी जावेगी। इसके उपरांत नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों पर इनकी पदस्थापना की जावेगी।

(डॉ गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल दिनांक 27/2/2016

क्रमांक 513/599/2016/17/मेडि–1
प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार क0 विभाग।
2. स्टॉफ ऑफिसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वा0 एवं परिवार क0 विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश।

निरंतर.................2/

4. आयुक्त , स्वास्थ्य सेवाऐं की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइड में अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्य प्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कोषालय अधिकारी।
9. स्टॉक फाईल।

27/4/2016

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/1637 भोपाल, दिनांक 29/10/2015

प्रति,

1. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषय :– बालचर्या अवकाश स्वीकृति के संबंध में ।

संन्दर्भ :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में वित्त विभाग की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.8.2015

–0–

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में वित्त विभाग की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.8.2015 के द्वारा शासकीय सेवकों हेतु मध्य प्रदेश अवकाश नियम 38 बी मे संशोधन कर 38 सी बालचर्या अवकाश का प्रावधान किया गया ।

अतः मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक एफ–1–67/2005/17/मेडि–1 दिनांक 26.12.2005/20.10.2006 के द्वारा अवकाश स्वीकृति हेतु अधिकार आपको प्रत्यायोजित किये है जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में वित्त विभाग की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.8.2015 के संन्दर्भ में आपके अधीनस्थ शासकीय सेवको को बालचर्या अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

29/10/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ भोपाल, दिनांक /10/2015

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1 विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, लोक स्वा. एवं प.क. विभाग, भोपाल म.प्र. ।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
4 समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2015

क्रमांक: एफ 6-1/2015/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्व्दारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 38-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :-
"38-ग **संतान पालन अवकाश-**

(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी व्दारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(2)अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(3)उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, संतान से अभिप्रेत है,-

(क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत नि:शक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान ।

(4) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:-

(क) यह एक केलैंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपभोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा । यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलैंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती केलैंडर

वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है । केलैंडर वर्ष से अभिप्रेत है 1 जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि;

(ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके जिए अवकाश स्वीकृत किया गया है ।

(5) संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को, अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा ।

(6) संतान देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा ।

(7) इस अवकाश का खाता पृथक से संधारित किया जाएगा तथा संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुसितका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी ।" ।

2. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
29. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
30. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
31. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
32. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
<u>Mantralaya, Bhopal</u>

NOTIFICATION

Bhopal, dated २२ August, 2015

No. F 6-1/2015/Rule/IV, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 38(b), the following rule shall be added, namely:-
"38(C) Child Care Leave.-

(1) Subject to the provisions of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by the competent authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.

(2) The leave cannot be claimed as a matter of right.

(3) For the purposes of sub-rule (1), "child" means, -
  (a) a child below the age of eighteen years (including legally adopted child);
  or
  (b) a child below the age of twenty two years with a minimum disability of forty percent as specified in Notification No. 16-18/97-N 1.1, dated the 1st June, 2001, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

(4) Grant of child care leave to a woman government servant under sub-rule(1) shall be subject to the following conditions, namely :-
  (a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. The leave availed even for a day, shall be counted as one spell. If the period of leave sanctioned continues into the next calendar year also then the spell shall be counted adjacent the year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calender year means the period commencing from 1st January to 31st December of the year.
  (b) it shall ordinarily not be sanctioned during the probation period. However, in special circumstances if the leave is sanctioned during the

probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.

(5) During the period of child care leave, the woman government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(6) Child care leave may be combined with leave of any other kind.

(7) The leave account shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women government servant.

2. This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh

(Aniruddhe Mukerjee)
Secretary,
To Government of Madhya Pradesh
Finance Department

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/F6-1/2015/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30/9/15

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– संतान पालन अवकाश–बारबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)।

1. म0प्र0राजपत्र दिनांक 22–8–2015 मे जारी अधिसूचना द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 मे नियम 38 (सी) जोडा जाकर राज्य सरकार की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धारित की गई है। संतान पालन अवकाश के आवेदन, स्वीकृति आदि बिन्दुओं पर विभिन्न माध्यमों से कतिपय जिज्ञासायें समक्ष में आई है। इन जिज्ञासाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:–

स.क	बिन्दु	उत्तर
1.	क्या, संतान पालन अवकाश लेने के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया है?	म0प्र0सिविल सेवा (अवकाश) नियम 13 (1) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र, अवकाश नियमों में वर्णित समस्त प्रकार के अवकाशों के लिए है। अतः यही प्रारूप संतान पालन अवकाश लेने के लिए भी है।
2.	संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए किस स्तर पर प्राधिकारिता है ?	अवकाश नियमों में उल्लेखित अवकाश,यथा,अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश तथा मातृत्व अवकाश, आदि के स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासकीय विभागों द्वारा किया

		गया है। अतः संतान पालन अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार, संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये गये अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार के अनुसार होगा।
3.	संतान पालन आवकाश अवधि में वेतन की पात्रता क्या होगी ?	अवकाश नियम 38 (सी) के उप पैरा (5) के प्रावधान अनुसार अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
4.	वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को संतान पालन अवकाश की स्थिति में क्या 01 जुलाई से ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा ?	अवकाश अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो कि अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व का होता है। अतः 01 जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि प्रोफार्मा वेतन वृद्धि के रूप में मिलेगी तथा का वास्तविक लाभ अवकाश पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्राप्त होगा। इसके परिणामस्परूप आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि परिवर्तित नहीं होगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुखर्जी)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक /F6-1 / 2015 / 2015 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 30/9/15

प्रतिलिपिः–

1. ....

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग